



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं.1208]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 13, 2019/फाल्गुन 22, 1940

No. 1208]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 13, 2019/ PHALGUNA 22, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2019

का.आ. 1353 (अ).—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि आयकर नियमावली, 1962 (उक्त नियमावली) के नियम 5ग और 5ड. के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (उक्त अधिनियम) की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनार्थ **मैसर्स इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइन्स एजुकेशन एण्ड रिसर्च, भोपाल (पैन: AAAAI2511F)** नामक संगठन को **निर्धारण वर्ष 2018-19 और इससे आगे की अवधि के लिए** केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुसंधान कार्यों से जुड़े **‘विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्थान’** की श्रेणी में अनुमोदित किया जाता है, नामतः:-

- (i) अनुमोदित संगठन को दी गई राशि का प्रयोग, वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए किया जाएगा;
- (ii) अनुमोदित संगठन अपने संकाय सदस्यों या नामांकित विद्यार्थियों के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान करेगा;
- (iii) अनुमोदित संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए इसके द्वारा प्राप्त राशि के संबंध में **अलग लेखा बहियां** रखेगा जिनमें अनुसंधान करने के लिए प्रयुक्त राशि दर्शाई गई हो, ऐसी खाता बहियों की उक्त अधिनियम की धारा 288 की उप धारा (2) के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी लेखाकार से लेखा परीक्षा कराएगा और उक्त अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अंतर्गत आय विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि तक ऐसे लेखाकार द्वारा विधिवत सत्यापित एवं हस्ताक्षरित लेखा परीक्षा रिपोर्ट मामले में क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा आयकर निदेशक को प्रस्तुत करेगा;

- (iv) अनुमोदित संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त दान तथा प्रयुक्त राशि का अलग विवरण रखेगा और इस प्रकार के दान का प्रयोग विशेष रूप से वैज्ञानिक शोध के लिए ही किया जाएगा तथा उपर्युक्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत सत्यापित ऐसे विवरण की प्रति प्रस्तुत करेगा।
- (v) अनुमोदित संगठन धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत आय विवरणी प्रस्तुत करने की देय तारीख तक आयकर आयुक्त या आयकर निदेशक को निम्नलिखित को समाहित करते हुए विवरणी प्रस्तुत करेगा-
- पूर्व वर्ष के दौरान इसके द्वारा किए गए अनुसंधान कार्य पर विस्तृत नोट;
 - वर्ष के दौरान राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित अनुसंधान कार्यों का सारांश;
 - वर्ष के दौरान, किसी पेटेंट या अन्य समान अधिकार के लिए प्रयुक्त या पंजीकृत;
 - आगामी वर्ष के दौरान किए जाने वाले अनुसंधान परियोजनाओं का कार्यक्रम और ऐसे कार्यक्रम के लिए वित्तीय आवंटन।
2. केंद्र सरकार यह अनुमोदन वापस ले लेगी यदि अनुमोदित संगठन:-
- (क) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iii) में यथा उल्लिखित **अलग लेखा बहियां** रखने में असफल रहता है; अथवा
- (ख) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iii) में यथा उल्लिखित अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहता है; अथवा
- (ग) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iv) में यथा उल्लिखित वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त दान एवं प्रयुक्त धनराशि का विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहता है; अथवा
- (घ) अपने अनुसंधान कार्य कलापों को करना बंद कर देता है अथवा इसके अनुसंधान कार्य कलापों को वास्तविक नहीं पाया जाता है; अथवा
- (ङ.) उक्त नियमावली के नियम 5ग और 5ड. के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है तथा उनका पालन नहीं करता है।

[अधिसूचना सं. 18/2019/फा. सं. 203/07/2018-आ.क.नि.-II]

राजाराजेश्वरी आर., अवर सचिव